





बंशीधर बनाम ग्यारसीलाल वगै०

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 55/2023 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट 1955

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/9/23	वादी की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री <del>मुनि शंकर</del> अमृतल एडवोकेट ने पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वादि पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 1.6.10.23 को पेश हों।	
14/10/23	वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से <del>उत्पन्न</del> है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/11/23 को पेश हो।	<p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      शाहपुरा जिला जयपुर                 </p>
20/11/23	वकील उभयपक्ष ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से <del>उत्पन्न</del> है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/12/23 को पेश हो।	<p style="text-align: right;">                       प्रस्तुतकार                 </p>
21/12/23	वकील वादी उभय प्रतिवादी की तलबी की जाकर दिनांक 14/12/23 को पेश हो।	<p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)                 </p>
14/12/23	<del>वकील वादी उभय प्रतिवादी पत्रावली पेश हुई।</del> वकील वादी/वादी उपस्थित नहीं। कार-बार आवज लगाई जाती। आवज लगाने पर कोई उपस्थित नहीं। कल: दावा कदम हो गयी व कदम पत्रों में अभिज्ञ किया जाता है। पत्रावली फौतल शुमार होकर दाखिल अवतर हो।	<p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)                 </p>